नईदुनिया

पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने उमड़े हजारों श्रद्धालु, मंदिर वापसी का शुभारंभ

एक सप्ताह बाद गुंडिचा मंदिर से लौटे भगवान जगन्नाथ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई। यह यात्रा गुंडिचा मंदिर में एक सप्ताह प्रवास के बाद भगवानों की श्रीजगन्नाथ मंदिर वापसी का प्रतीक मानी जाती है। बहुड़ा यात्रा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे।

पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत पहले देव विग्रहों की 'पहांडी' यात्रा निकाली गई, जिसमें उन्हें गुंडिचा मंदिर से रथों तक विधिवत लाया गया। इसके बाद पुरी के गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव ने परंपरा के अनुसार 'छेरा पहरा' की रस्म निभाई। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खींचने का शुभारंभ किया।

धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़ी इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान के दर्शन और रथ सेवा का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हरिभंजा में श्रीमंदिर पहुंचने के बाद चतुर्धा मूर्ति को छप्पन भोग और अधरपणा की परंपरा पूरी की जाएगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ और मां लक्ष्मी के बीच मान-मनौवल की परंपरा निभाई जाएगी। मान्यता है कि नौ दिनों तक मौसीबाड़ी में रहने के कारण मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और श्रीमंदिर का द्वार बंद कर देती हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ उन्हें रसगुल्ला भेंट कर मनाते हैं और मंदिर का द्वार खोला जाता है। गुरुवार को सरायकेला स्थित गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को मत्स्य और कच्छप अवतार के रूप में दर्शन दिए। गुरु सुशांत महापात्र और उनके सहयोगियों द्वारा की गई विशेष वेश-सज्जा सरायकेला की गुंडिचा मंदिर परंपरा की खास पहचान है। इस विशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।

भारी वर्षा से कई राज्यों में बाढ़ का कहर

- गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित, राहत एवं बचाव कार्य जारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं तथा निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत एवं बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम क्षेत्र में 16 घंटे के भीतर 43 इंच वर्षा दर्ज की गई, जिससे अनेक निचले इलाके जलमग्न हो गए। नवसारी जिले के मेघर गांव में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण लोगों को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सुरेंद्रनगर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बाढ़ में फंसे 67 लोगों का नौकाओं के माध्यम से बचाव किया। राज्य में अब तक लगभग 38 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अहमदाबाद और सूरत सहित कई शहरों में सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में पानी भर गया। अनेक मकानों के भूतल तक पानी पहुंच गया, जबकि कई स्थानों पर दुकानें बंद रहीं और लोग घरों में रहने को विवश हुए। गुरुवार देर रात तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें सवार छह लोगों में से चार की मृत्यु हो गई। असम में लगातार वर्षा के कारण कई बाजार और पेट्रोल पंप जलमग्न हो गए हैं। अनेक क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित है और लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले दस दिनों से जारी वर्षा के कारण गंगा, यमुना सहित दस नदियां उफान पर हैं। सीतापुर सहित कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं प्रभावित राज्यों में प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा राहत कार्यों को तेज गति से संचालित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला, जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थता जताई

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा

ढाका, एजेंसी: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र जातीय संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद को सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफे का कारण अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बताया है। त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। हाल ही में चिकित्सकों ने उनमें स्वायत्त तंत्रिका विकार

नामक बीमारी का भी पता लगाया है। इस बीमारी के कारण उन्हें कई बार अचानक बेहोशी आ जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शारीरिक और मानसिक स्थिति में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना संभव नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के समाचार माध्यमों में उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से दूरभाष पर बातचीत करने का प्रयास किया था। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी।

तीन रसायन उद्यान स्थापित करेगी केंद्र सरकार

- 'भव्य रसायन' योजना को मंजूरी, आधारभूत ढांचे के विकास पर होगा 3,030 करोड़ रुपये का व्यय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में तीन समर्पित रसायन उद्यान स्थापित करने के लिए 'भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन (भव्य रसायन)' को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना पर कुल 3,030 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। योजना का संचालन वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपये रसायन उद्यानों में साझा आधारभूत ढांचे और आवश्यक सुविधाओं के विकास पर तथा 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक रसायन उद्यान के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का अंशदान देना होगा। राज्यों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से किया जाएगा तथा प्रत्येक उद्यान के लिए कम से कम दो हजार एकड़ बाधामुक्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

योजना के अंतर्गत सामूहिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, उपचार, भंडारण एवं निस्तारण सुविधा, जल आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था, विलायक पुनर्प्राप्ति तथा आसवन सुविधा, भाप वितरण तंत्र, परस्पर जुड़ी पाइपलाइन, परिवहन तथा भंडारण जैसी साझा सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरणीय मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा और रसायन उद्योग का टिकाऊ तथा पर्यावरण अनुकूल विकास होगा। साथ ही घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा विकसित भारत-2047 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति मिलने की अपेक्षा है।

सऊदी राजकुमार की हार्ट अटैक से हुई थी मौत

लंदन, एजेंसी: सऊदी अरब के 29 वर्षीय राजकुमार अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद की पिछले वर्ष लंदन के एक होटल में हुई मृत्यु के मामले में जांच में नया खुलासा हुआ है। न्यायिक जांच में बताया गया कि मद्यपान, मादक पदार्थ तथा चिकित्सकीय पर्चे पर मिलने वाली दवाओं के घातक मिश्रण के कारण उनकी हृदय गति रुक गई थी।

राजकुमार 19 नवंबर को लंदन के एक होटल में ठहरे थे। 25 नवंबर को उनके कमरे के स्नानागार में उनका शव मिला था। जांच के दौरान प्रस्तुत निगरानी कैमरों के चित्रों के अनुसार, मृत्यु से एक दिन पहले उन्हें अंतिम बार जीवित देखा गया था। न्यायिक अधिकारी ने इस घटना को अनजाने में हुई घातक दुर्घटना माना और कहा कि आत्महत्या की किसी योजना का कोई प्रमाण नहीं मिला। उनके रक्त में मदिरा की मात्रा अत्यधिक पाई गई।

भोजशाला के पास नमाज स्थल को लेकर असमंजस

- प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के तर्क सुनने के बाद 29 जुलाई की तिथि तय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद प्रकरण में नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान को लेकर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रशासन और मुस्लिम पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। केंद्र की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि प्रशासन और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि आपसी सहमति से उपयुक्त स्थान तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि समुदाय लगातार दो जुमे की नमाज से वंचित रह चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप परिसर से सटे अथवा आसपास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा जो स्थान प्रस्तावित किया गया है, वह काफी दूर है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि वह दूरी लगभग 900 मीटर है और मामले में शपथपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अंतरिम आवेदन पर अगली सुनवाई के लिए मंगलवार, 29 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी।

बल्लारी-गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बल्लारी-गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 46 किलोमीटर लंबी यह बहु-पटरी परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूर्ण की जाएगी। इस पर 1,264 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों के लगभग 99 गांवों के करीब सात लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बल्लारी किला और श्री कुमारस्वामी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी अधिक सुगम बनेगी। सरकार के अनुसार यह रेलखंड लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा एवं इस्पात, कोयला, उर्वरक तथा खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 16.22 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता विकसित होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रेल परिचालन अधिक सुचारु होगा, परिवहन लागत में कमी आएगी तथा प्रतिवर्ष लगभग 1.32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है।

हिटलर के जन्मस्थान को बनाया गया पुलिस थाना

वियना, एजेंसी: ऑस्ट्रिया ने जर्मनी की सीमा के निकट ब्राउनाउ आम इन नगर स्थित तानाशाह एडॉल्फ हिटलर के जन्मस्थान को पुलिस थाने में परिवर्तित कर दिया है। बुधवार से इस भवन ने आधिकारिक रूप से नई भूमिका शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया सरकार ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य इस स्थान को नव-नाजी समर्थकों के आकर्षण का केंद्र बनने से रोकना है। यह भवन लंबे समय तक निजी स्वामित्व में रहा तथा यहां दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था भी संचालित होती थी। लंबे कानूनी विवाद के बाद वर्ष 2017 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और वर्ष 2019 में इसे पुलिस थाना बनाने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय के इतिहास विभाग के प्रमुख स्टीफन म्लचोज ने कहा कि इस परिवर्तन का उद्देश्य भवन को हिटलर की पहचान से अलग करना और उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की प्रतीकात्मक छवि को समाप्त करना है।

आरोप *तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप का आरोप लगाया...*

नेपाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठे सवाल

काठमांडू, एजेंसी: नेपाल की सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले कदम उठा रही है। संगठनों का आरोप है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों पर पद छोड़ने का दबाव बना रही है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग लाने की तैयारी की जा सकती है। उनका कहना है कि इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में बदलाव करना है।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि हाल के महीनों में ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं, जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मामलों की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि बिना पर्याप्त संवैधानिक आधार के न्यायाधीशों पर दबाव बनाना न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करेगा।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी विवाद सामने आया है। बताया गया कि नियुक्ति के समय वह वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर थे,

जबकि उनसे वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी और हरि फुयाल को नियुक्ति के लिए नहीं चुना गया। नेपाल में पिछले लगभग 70 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार उसका पालन नहीं किया गया। हालांकि संविधान में ऐसी कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है और केवल आवश्यक योग्यता का उल्लेख किया गया है।

संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्राप्त 16 शिकायतों की खुली और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई। संसदीय सुनवाई समिति को मिली शिकायतों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के विरुद्ध अब तक कोई सार्वजनिक आरोप या ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, फिर भी उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाए जाने की बात कही गई है।

संयुक्त बयान में मई 2026 में अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक परिषद अधिनियम में किए गए संशोधनों पर भी आपत्ति जताई गई है।

संगठनों का कहना है कि संशोधन के बाद परिषद की बैठकों और नियुक्ति संबंधी निर्णयों के नियम आसान कर दिए गए हैं। उनका मानना है कि यदि महाभियोग की प्रक्रिया का उपयोग बिना ठोस आधार के किया गया तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।